

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 1464 /स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

## कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 141 वीं बैठक दिनांक 15 जुलाई 2016 में लिये गये निर्णय अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के समक्ष बोर्ड का पक्ष रखने तथा रिटेनरशिप के रूप में श्री पी.के.कौरव अधिवक्ता को आगामी तीन वर्ष तक निम्न शर्तों के तहत शुल्क भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1	प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने संबंधी कार्य प्रकरणों में उत्तर तैयार कर प्रस्तुत करने, काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करने, रिज्वाइन्डर प्रस्तुत करने, रिट पिटीशन, शपथ-पत्र, हेतु ।	50000/-प्रति प्रकरण (उक्त शुल्क में अन्य एवं विविध व्यय भी सम्मिलित हैं)
उक्त शुल्क का भुगतान दो किशतों में निम्नानुसार किया जायेगा : (प्रथम किशत) प्रकरण में बोर्ड का उत्तर प्रस्तुत करने पर (द्वितीय किशत) प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर		
2	रिटेनरशिप फीस में सम्मिलित कार्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रतिदिन बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करना, एनजीटी में प्रचलित प्रकरणों में प्राप्त एम.ए. प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करना, ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में निर्णय पारित हो चुके हैं, उन प्रकरणों में एनजीटी के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा बोर्ड को विभिन्न प्रकरणों में विधिक सलाह देना । रिटेनरशिप राशि दिये जाने के उपरांत प्रतिदिन सुनवाई एवं इन्टरिम रिप्लाय हेतु किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।	100000/-प्रतिमाह

( ए० ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ० कमांक 1465 /स्था/मुप्रनिबो/2016  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 AUG 2016

- 1 प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।